भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 744

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समर्थन हेतु योजनाएं और कार्यक्रम

744. श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशिष्ट रूप से समर्थन देने के लिए कार्यान्वित की जा रही वर्तमान स्कीमों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्कीमों के उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र क्या हैं और लक्षित लाभार्थी कौन हैं;

(ग) एमएसएमई के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार को सुलभ बनाने हेतु वर्तमान में कार्यान्वित प्रमुख पहलें कौन-सी हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रियायती ऋण स्कीमों के अंतर्गत तमिलनाडु में एमएसएमई को कुल कितनी निधि संवितरित की गई है; और

(ङ) क्या तमिलनाडु में एमएसएमई क्षेत्र, विशेषकर संकुल विकास जैसे क्षेत्रों में और अधिक समर्थन देने के लिए कोई नए प्रस्ताव या योजनाएं विचारधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों को कार्यान्वित करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): केंद्र सरकार तमिलनाडु सहित देश में एमएसएमई के संवर्धन एवं इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और एमएसएमई के प्रोद्यौगिकी उन्नयन तथा नवोन्मेष में सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों तथा नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को में सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं गतिवर्धन एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं और निधियाँ राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती है।

6,58,33,368 एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसमें वे अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम शामिल है, जिनमें दिनांक 15.07.2025 तक 28,51,41,204 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इनमें से, 53,11,976 एमएसएमई तमिलनाडु में पंजीकृत है जिनमें 2,76,97,460 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

मुख्य स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवकों की सहायता करते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक की परिस्कीमों तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परिस्कीमों के लिए परियोजना लागत के 15% से 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं सहित, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

विगत 3 वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 15.07.2025 तक) के दौरान तमिलनाडु में पीएमईजीपी के तहत, सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और प्रयुक्त निधियों (संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित सृजित रोजगार
2022-23	6,140	178.92	49,120
2023-24	6,814	198.72	54,512
2024-25	3,949	121.15	31,592
2025-26 (15.07.2025 तक)	2,280	56.77	27,547

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने वर्ष 2000 में संयुक्त रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (सीजीटीएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना की थी, ताकि सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) को कोलेटरल प्रतिभूति और तृतीय-पक्ष गारंटी के बिना सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। सीजीटीएमएसई एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) क्रियान्वित करता है।

तमिलनाडु में सीजीएस के तहत विगत 3 वर्षों के दौरान प्रदान की गई क्रेडिट गारंटियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीजीएस-अनुमोदित गारंटी- तमिलनाडु		
वित्तीय वर्ष	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
2022-23	61,883	7,114
2023-24	1,13,815	15,061
2024-25	1,79,817	21,447
2025-26 (दिनांक 30.06.2025 तक)	28,147	6,592

(iii) उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के तहत, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी), प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), उन्नत ई-एसडीपी एवं उन्नत-एमडीपी पर अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। तमिलनाडु में कार्यक्रमों और लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	संचालित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	31	3002
2.	2022-23	235	9433
3.	2023-24	319	16445
4.	2024-25	363	17929
	कुल	948	46809

(iv) पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी), केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका शुभारंभ दिनांक 17.09.2023 को 18 विशिष्ट पारंपरिक व्यापारों में देश भर के, अपने हाथों एवं औजारों से कार्य करने वाले, कारीगरों एवं शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कीम के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएमसी) और जिला क्रियान्वयन समिति (डीआईसी) का गठन किया जाना है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएमसी) और जिला क्रियान्वयन समिति (डीआईसी) का गठन नहीं किया है, जिसके कारण तमिलनाडु में लाभार्थियों का पंजीकरण प्रभावित हुआ है। तथापि, दिनांक 18.07.2025 तक तमिलनाडु में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से 8.53 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(v) देश में प्रोद्यौगिकी केन्द्रों/टूल रूमों के नेटवर्क उन्नत प्रोद्यौगिकी तकनीकों, प्रशिक्षण एवं कौशल तथा व्यापार परामर्शी सुविधाओं तक पहुँच बनाने में एमएसएमई की सहायता करते हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धी बन सकें। टूल रूम एवं तकनीकी संस्थान (टीआर एवं टीआई) स्कीम के तहत, फुटवियर तकनीकी सेवाएँ, फुटवियर उद्योग के लिए मौल्ड एवं डाई की डिजाइनिंग एवं निर्माण तथा परामर्शी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से तमिलनाडु में केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफ़टीआई), चेन्नई की स्थापना की गई है। सीएफ़टीआई उद्योग हेतु परिसज्ज मानवबल तैयार करने हेतु युवकों को कौशल भी प्रदान करता है और उद्योग की मांग के अनुसार मौजूदा उद्योग कार्यबल के कौशल में सुधार भी करता है।

(ड): सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की स्थापना और औद्यौगिक संपदाओं के सृजन एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत फलैटेड फैक्ट्री परिसरों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। सीएफ़सी के लिए, भारत सरकार का अनुदान 80% तक है, जिसमें परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए है जबकि, आईडी परिस्कीमों के लिए, भारत सरकार का अनुदान 70% तक है, जिसमें परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 15 करोड़ रुपए है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान तमिलनाडु राज्य में एमएसई-सीडीपी के तहत परिस्कीमों के लिए 62.57 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई।
